

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनात्मक डाक व्यव की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010—ज्येष्ठ 7, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) संस्थिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुराणापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2010

क्र. ई-5-676-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 मई से 1 जून 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विश्वमोहन उपाध्याय की अवकाश की अवधि में श्री संजय बंदोपाध्याय, आयएएस., आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विश्वमोहन उपाध्याय द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय बंदोपाध्याय, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-747-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल को दिनांक 17 से 22 मई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर की अवकाश की अवधि में श्रीमती सुधा चौधरी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के चालू कार्यभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-475-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य, (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं दिनांक 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जायें।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य, (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 मई 2010

क्र. ई-5-797-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पी.जी. गिल्लौरै, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 24 मई से 2 जून 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी.जी. गिल्लौरै को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी.जी. गिल्लौरै को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी.जी. गिल्लौरै अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 मई 2010

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 18 से 26 दिसम्बर 2009 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया गया था। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 12 मई 2010

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 10 जून 2010 से 5 जुलाई 2010 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव.

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2010

क्र. एफ. 2-50-2010-छब्बीस-2.—किशोर न्याय (बालको की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (4) में उल्लेखित प्रधान मजिस्ट्रेट को कालम (3) में दर्शायी यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए पदानिहित करती है. अर्थात्.—

अनुसूची तीन

अ.	किशोर न्याय बोर्ड जिलों के क्र. और उसका मुख्यालय	नाम (1)	नाम एवं पदनाम (2)	नाम एवं पदनाम (3)	नाम एवं पदनाम (4)
1	झाबुआ	झाबुआ	श्री एन. एस. डावर	झाबुआ	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

No. F-2-50-2010-XXVI-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates the Judicial Magistrate shown in column No. 4 of the table as the Principal Magistrate of Juvenile Justice Board of the district as shown in column (3) of the table drawn below, respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

S. No.	Name of Juvenile Justice Board	Name of the District	Name of the Principal Magistrate and Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jhabua	Jhabua	Shri N. S. Dawar Chief Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीणा तेलंग, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2010

क्र. एफ.-1 (सी)-8-2010-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43/1973) की धारा-21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त सूची के मद "क" विश्वविद्यालय में क्रमांक 19 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जावे।

"20. मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर"

No. F-1 (C)-8-2010-E-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 21 of Madhya Pradesh Local Fund Audit Act, 1973 (Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973) (No. 43 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Act :—

AMENDMENT

In the said Schedule, after Sr. No. 19 of the item 'A' UNIVERSITIES, the following shall be added, namely :—

20. MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSHA VIGYAN VISHWAVIDHYALAYA, JABALPUR.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्वनी कुमार राय, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2010

क्र. एफ 1 (ए) 107-86-ब-2-दो.—(1) श्री क्षी. के. सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से दिनांक 26 मई 2010 तक (दस) 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री क्षी. के. सिंह, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्यभार श्री अशोक अवस्थी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सौंपा जाता है।

(3) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) पुमु, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन पुलिस महानिदेशक (अजाक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 मई, 2010

क्र. एफ 1(ए) 168-89-ब-2-दो.—(1) श्री कैलाश मकवाना, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 26 जून, 2010 तक (बीस) 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुमु भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेन्द्र कुमार भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2010

क्र. एफ 1(ए) 18-93-ब-2-दो.—(1) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मई, 2010 तक (पांच) 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. एफ 1(ए) 255-76-ब-2-दो.—श्री एस. के. राउत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 अप्रैल, 2010 से 3 मई, 2010 तक 07 दिवस (सात दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. के. राउत, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर “जाजपुर” (ड़डीसा) जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. श्री एस. के. राउत | — | स्वर्यं |
| 2. श्रीमति रीता राउत | — | पत्नी |
| 3. श्री राज राउत | — | पुत्र |

(3) श्री एस. के. राउत, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. एम. कंवर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यो/प्र), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 07 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा।

(5) श्री एस. के. रात, भापुसे द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रात, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(7) अवकाशकाल में श्री एस. के. रात, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. रात, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 मई, 2010

क्र. एफ 1(ए)23-77-ब-2-दो.—श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे, पुलिस महानिदेशक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 24 मई 2010 से 11 जून, 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23 मई, 2010 एवं 12/13 जून, 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “लेह” लद्दाख (जम्मू कश्मीर) जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. दिलीप ग. कापदेव | — स्वयं |
| 2. डॉ. शुभा कापदेव | — पत्नी |
| 3. प्रज्ञा कापदेव | — पुत्री |
| 4. प्रियंका कापदेव | — पुत्री |
| 5. अरुंधति कापदेव | — पुत्री |

(3) श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किसी अन्य अधिकारी से कराये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी।

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फसस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 19 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा।

(5) श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे द्वारा पुलिस महानिदेशक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाश से लौटने पर श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिदेशक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(7) अवकाशकाल में श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

फा. क्र. 17 (ई)-18-2010-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री करीम दाद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता) मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 17 (ई)-19-2010-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी कुमारी सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र. डी-15-12-2010-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1104/5098 चौदह दिनांक 24 जनवरी, 1958 द्वारा मन्दसौर जिले की शामगढ़ तहसील के ग्रामों के क्षेत्र को (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने हेतु शामगढ़ में मंडी स्थापित की गई थी।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने उक्त मंडी क्षेत्र में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील शामगढ़ के ग्रामों में समाविष्ट ग्राम झोबरा का क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील शामगढ़ के ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को अपवर्जित करके तथा सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:—

अनुसूची

(1) चांदखेड़ी बुजुर्ग, (2) पिपल्या घाटा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र. डी-15-12-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव।

Bhopal, the 19th May 2010

No. D-15-12-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 1104-5098-14 dated 24th January 1958 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have established Market at Shyamgarh for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of villages specified in the schedule of the said Notification (hereinafter referred to as the “said market area”) in Tehsil Shyamgarh of district Mandsaur.

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limit of the “said market area” by excluding therefrom the area comprising of village Jhobra in Shyamgarh Tehsil of district Mandsaur (hereinafter referred to as the “said area”).

AND, WHEREAS, it is proposed to alter the limit of the “said market area” by including therein the area comprising of villages specified in the schedule below in Shyamgarh Tehsil of district Mandsaur (hereinafter referred to as the “said area”).

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the “said market area” by excluding and including the “said area”.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government:—

SCHEDULE

(1) Chandkhedi Bujurg, (2) Pipaliya Ghata.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र.-डी-15-12-2010-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-54-1995-चौदह-3 दिनांक 30 जनवरी, 2006 द्वारा मन्दसौर जिले की गरोठ तहसील की अनुसूची में उल्लेखित 100 ग्रामों के क्षेत्र को (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से विनिर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने हेतु गरोठ में मंडी स्थापित की गई थी।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील गरोठ के ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त क्षेत्र” के नाम से विनिर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:—

अनुसूची

- (1) गरोठ, (2) भीलखेड़ी, (3) बाराखेड़ी, (4) हरिपुरा, (5) कराडिया (बोरखेड़ी), (6) सकरियाखेड़ी, (7) ढोलनी, (8) झोबरा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र.-डी-15-12-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्यक्त अधिसूचना दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May 2010

No. D-15-12-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 15-54-1995-XIV-3 dated 30th January 2006 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have established Market at Garoth for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of 100 villages specified in the schedule of the said Notification (hereinafter referred to as the “said market area”) in Tehsil Garoth of district Mandsaur.

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limit of the “said market area” by including therein the area comprising of villages specified in the schedule below in Garoth Tehsil of district Mandsaur. (hereinafter referred to as the “said area”).

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the “said market area” by including therein “said area”).

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government:—

SCHEDULE

- (1) Garoth, (2) Bhilkhedi, (3) Baarakhedi, (4) Haripura, (5) Karadiya (Borkhedi), (6) Sakariyakhedi, (7) Dholni, (8) Jhobra.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

क्र. डी-15-14-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्षक “छः” मद गन्ना में “गुड़” को शामिल करने के लिये ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस

सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह का अवसान होने पर विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से, लिखित में विनिर्दिष्ट समयावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त होगी, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

क्र. डी-15-14-2010-चौहद-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधक सूचना क्रमांक डी-15-14-2010-चौहद-3, दिनांक 20 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव।

Bhopal, the 20th May 2010

No. D-15-14-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973), the State Government hereby publish its resolution for adding “ Gur” in the Schedule VI under the head Sugarcane, for the information of all persons likely to be affected thereby and the notice is given hereby that the said resolution will be taken into consideration on expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the “Madhya Pradesh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received in writing by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare & Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to the said draft Notification, before the expiry of period specified above, will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

सहकारिता विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2010

क्र. एफ-1-19-2010-पन्द्रह-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अंकेक्षण अधिकारी के पद पर वेतन बैंड पीबी-2 रुपये 9300—34800 + ग्रेड-पै 4200 में, पदोन्नत कर, निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कालम क्रमांक (4) में अंकित अनुसार पदस्थि किया जाता है:

क्रमांक (1)	नाम कर्मचारी (2)	वर्तमान पदस्थी स्थान (3)	नवीन पदस्थी स्थान (4)
1.	श्री बृजेश कुमार शर्मा	रीवा	रीवा
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे	रीवा	रीवा
3.	श्री दिलीप कुमार मडोइया	शिवपुरी	अशोकनगर
4.	श्री अंमरसिंह ठाकुर	झाबुआ	झाबुआ
5.	श्री चंपालाल मोर्य	शिवपुरी	अशोकनगर
6.	श्रीमती तारा विशेन्द्रे	बालाघाट	मुख्यालय
7.	श्रीमती हंशा टेम्परे	बालाघाट	बालाघाट
8.	श्री शिवचरण गौड	सिंगरोली	सिंगरोली
9.	श्री एस. पी. मांझी	सीधी	सीधी
10.	श्री अशोक कुमार राजगौड	सागर	दमोह
11.	श्री दीपक कुमार भामोर	धार	अलीराजपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	श्री राजेश विक्टर	धार	इंदौर
13.	श्री ई. इक्का	मंदसौर	राजगढ़
14.	श्री दयाराम साठे	विदिशा	भोपाल
15.	श्री दीपक जोशी	उज्जैन	उज्जैन
16.	श्री रामसेवक बादल	सागर	टीकमगढ़
17.	श्री महेश कुमार गुप्ता	छतरपुर	छतरपुर
18.	श्री आर. ए. शर्मा	भिण्ड	शिवपुरी
19.	श्री बल्लेव घोष	जबलपुर	अनूपपुर
20.	श्री छत्रपाल सिंह झाला	देवास	देवास
21.	श्री अशोक कुमार राजवैद्य	मुख्यालय	मुख्यालय
22.	श्री श्रीकांत अमृत करकरे	मुख्यालय	मुख्यालय
23.	श्री महेश प्रताप सिंह	पन्ना	सतना
24.	श्री प्रदीप कुमार बदनोरे	उज्जैन	रतलाम
25.	श्री अरुण कुमार दुबे	आई. सी. डी. पी. मुख्यालय	आई. सी. डी. पी. मुख्यालय
26.	श्री बारक्या राणे	सीहोर	सीहोर
27.	श्री रामरत्न सिंह सौलंकी	ग्वालियर	शिवपुरी
28.	श्री भोला प्रसाद प्रजापति	पन्ना	पन्ना
29.	श्री लालू प्रसाद अहिरबार	शहडोल	शहडोल
30.	श्री रमेश इंदोलिया	मुख्यालय	मुख्यालय
31.	श्री नर्मदा प्रसाद सावनेर	सीहोर	मुख्यालय
32.	श्री ओ. पी. पुरे	खरगौन	अलीराजपुर
33.	श्री राज कुमार पनिका	रीवा	सिंगरौली
34.	श्री दिलीप सिंह चौहान	खरगौन	खरगौन
35.	श्री कैलाश चन्द्र चौहान	रतलाम	नीमच
36.	श्री भगत सिंह धुर्वे	रायसेन	रायसेन
37.	श्री कालूराम सेते	बड़वानी	इंदौर
38.	श्री नानूराम सोलंकी	खण्डवा	मंदसौर

2. स. क्र. (2) पर अंकित अधिकारी का वेतन आहरण सीधी में रिक्त अंकेक्षण अधिकारी पद के विरुद्ध किया जावेगा तथा स. क्र. (7) पर अंकित अधिकारी का वेतन आहरण जबलपुर में रिक्त अंकेक्षण अधिकारी के पद के विरुद्ध किया जावेगा।

3. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई हैं।

4. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 वर्ष 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदेशानुसार,

आर. आर. एस. मरावी, अवर सचिव,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

क्र. एफ-3-117-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-117-2009-बत्तीस, दिनांक 28 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खजूरी कलां	527, 537/2, 541, 542, 545/1/2, 543, 544, 546/2, 547/1ख, 546/2, 547/1च, 546/2, 547/1घ, 546/2, 547/1 ज, 546/2, 547/1 ड, 536/2, 534/2	33.70 एकड़	कृषि	आवासीय शर्त-विकास अनुज्ञा के समय संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस पहुँच मार्ग की चौड़ाई के संबंध में दिये गये प्रावधान का पालन किया जाना होगा। 2. नाले से नियमानुसार दूरी तक वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
2	खजूरी कलां	546/2, 547/2/2/3/1, 546/2, 547/3ग/3, 548, 549/1ख/1	5.58 एकड़	कृषि	वाणिज्यिक शर्त-1 बायपास मार्ग के मध्य से नियमानुसार 75 मीटर तक कन्ट्रोल एरिया छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। 2. नाले से नियमानुसार दूरी तक वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
		योग . .	39.28 एकड़		

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलकर, उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 5453-68-एससी-2010.—मध्यप्रदेश आपत्तिक हैंजा (अ) विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैंजा, जठर, आंत्रशोध रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा की संपूर्ण सीमा को इस

अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह माह की कालावधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हैं। इसी विनियम के नियम 2 के उपनियम (घ) एवं (ड) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक सर्जन, सिविल सर्जन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खाद्य निरीक्षक (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका को इस अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिये उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा को निर्देशित करता हैं कि इस संबंध में शासनादेशों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करें।

क्र. 5469-85-एससी-2010.—विदिशा जिले में संक्रामक रोग हैंजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें।

अतः, मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा आपत्तिक हैंजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण विदिशा जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं, तथा आदेश देता हूं कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदान करने के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाइयाँ या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी।
2. ताजी मिठाइयाँ, नमकीन, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, आईसक्रीम, कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें।

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण "क" (1) एवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा।

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच-पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है, और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्णन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती हूं :—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
 2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय।
 3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों।
 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् विदिशा/बासौदा/सिंरोज.
 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/शमशाबाद/लटेरी।
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा/बासौदा/सिंरोज/नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी।
 7. स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक विदिशा/बासौदा/सिंरोज/नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी/शमशाबाद।
- खड्डो, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी हटाने, उक्त संबंध में सूचित रोगाणु-नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छह माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा।

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 10 मई 2010

क्र. 158-एससी-2-2010.—छतरपुर जिले में ग्रीष्मऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैं, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावे।

अस्तु मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैं/ज्वर/आंत्रशोध विनियम 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ, तथा यह आदेश देता हूँ कि :—

- (क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायत रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—
 1. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी।
 2. बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, उबली हुई चाय, शर्बत, मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा काँच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें।
 - (ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण “दो” में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जाएगा।
 - (ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच-पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त हैं तो उन अस्वास्थ्य कारण दूषित अनुपर्युक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वासन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ, जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे :—
 1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
 2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय।
 3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो।
 4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
 5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक-सह-खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत (सर्व)।
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सर्व) जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
- उपरोक्त उल्लिखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गंदे गढ़े पोखरों, जलकुण्डों, संडासों वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उत्तर संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे।
- (घ) यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 6 माह के अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा।

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-46-2010-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 19 जुलाई 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र (1)	प्रश्नपत्र का विषय (2)	समय (3)
सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010		
1.	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. — "—
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	— "—
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	— "—
4.	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	— "—
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
59.	विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	— "—
मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010		
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.	— "—

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	— "—
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये।	— "—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	— "—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।	— "—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये।	— "—

बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	— "—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	— "—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	— "—
24.	पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा”।	— "—
63.	स्वच्छ गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	— "—

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. — ”—
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	— ”—
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	— ”—
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	— ”—
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— ”—
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	— ”—

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010

33.	प्रश्न प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	— ”—
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक।
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	— "—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	— "—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	— "—
55.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	— "—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये।	— "—

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)	— “—

शनिवार, दिनांक 24 जुलाई 2010

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक।
-----	---	----------------------------------

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है।
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी।
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रक्रोष्ट को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई, 2010 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
- (5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी./एस.टी. दर्शकर कोष्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. जैन, अवर सचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 1904-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	चमेलीखेड़ा	1.07	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, रतलाम।	कोलपुर तालाब निर्माण के अन्तर्गत शीर्ष कार्य में आने वाली अतिरिक्त ढूब भूमि का अर्जन।

- (1) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण।—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 616-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	गोठान्या	2.520 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 618-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य संभाग क्रमांक-24, खरगोन। नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
खरगोन	कसरावद	गवला	30.238 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 10 मई 2010

क्र. 5973-भू-अर्जन-2010-शुद्धिपत्र.—चूंकि, राज्य जिला होशंगाबाद, तहसील होशंगाबाद के ग्राम बमूरिया एवं बम्होरीखुर्द में बैराखेड़ी से घुघबास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन संबंधी भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 2644 दिनांक 20 नवम्बर 2009 को किया गया है। उक्त प्रकाशन के संबंध में अनुसूची की अंतिम पैरा भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपर्वर्तन परियोजना कट्टनी के स्थान पर भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत बरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 मई 2010

प्र. क्र. 38-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के

लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल (हे.में)	(4)		
विदिशा	शमशाबाद	थाना	101.395	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का ढूब क्षेत्र.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है।—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं ढूब क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 मई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टर में	अर्जित रकबा हेक्टर में	
रायसेन	उदयपुरा	कुकरा	30/4	1.720	0.112	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.
			26/1	2.921	0.294	कुकरा जलाशय की नहरों हेतु.
			26/2	0.405	0.049	
			19/2/1	0.303	0.230	
			22	3.719	0.504	
			13	4.472	0.624	
			17	3.245	0.168	
			15/2	1.680	0.252	
			15/3	1.680	0.252	
			100	2.910	0.350	
			101	3.295	0.148	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			102	4.079	0.504		
			103/1	2.274	0.193		
			103/2	2.275	0.249		
		सिमरिया	18/2	1.619	0.308		
			18/1	2.351	0.428		
		उचाखेड़ी	129/2	3.036	0.286		
			129/1/1	1.165	0.119		
			129/1/2	1.165	0.116		
			141	0.603	0.048		
			142/1	1.712	0.191		
		बेरखेड़ी	17	2.954	0.340		
			16/3	1.983	0.146		
			16/2	1.983	0.094		
			16/1/2	1.983	0.162		
			20	1.788	0.169		
			19	1.843	0.216		
			37/1	0.919	0.216		
			37/3	0.922	0.144		
			36	3.800	0.192		
रायसेन	उदयपुरा	बेरखेड़ी	46/1	2.319	0.131		
			46/2	0.809	0.181		
			45/2	1.214	0.264		
			45/1	2.412	0.214		
			48	6.208	0.299		
			47/1	0.854	0.083		
			53	5.488	0.330		
			125	1.647	0.214		
			130	0.381	0.122		
			134	2.590	0.163		
			133	0.125	0.054		
			183/1/1	9.635	0.782		
			183/1/2	1.619	0.048		
			182/1/1	6.880	0.256		
			164/2	0.901	0.094		
			164/1	0.809	0.042		
			165/1	1.720	0.125		
			165/2	1.720	0.125		
			165/3	1.721	0.125		
			165/4	0.970	0.064		
			166/2	0.984	0.149		
			168/1	0.713	0.061		
			169	0.590	0.107		
			170/1	0.546	0.173		
			157	2.076	0.112		
		योग . .		141.903	11.475		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शासकीय	बेरखेड़ी	4	0.320	0.028			
रकबा		18	0.535	0.056			
	सिमरिया	19	0.061	0.056			
		20	0.186	0.018			
	उचाखेड़ा	128	0.583	0.198			
		152	0.036	0.008			
		143	1.028	0.104			
		147	2.687	0.140			
		157	8.623	0.054			
		154	0.032	0.032			
	बेरखेड़ी	128	0.486	0.048			
		12	0.466	0.144			

नोट.—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मई 2010

प्र. क्र. 13अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (ह.)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	पिपरसरा नं.बं. 333 प.ह.नं. 40	3.394	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 14अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	कोरेगांव	1.304 नं.ब. 83 प.ह.न. 40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	कुण्डा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 15अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	कुण्डा	2.014 नं.ब. 65 प.ह.न. 40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 16अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	दुंगरिया	5.560 नं.ब. 219 प.ह.न. 68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	दुंगरिया जलाशय निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 17अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	झुंगरिया नं.बं. 219 प.ह.नं. 68	2.053	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	झुंगरिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 18अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	उमरिया नं.बं. 20 प.ह.नं. 42	1.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	स्पिल एप्रोच चेनल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 19 मई 2010

क्र. 15-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ग्वालियर	ग्वालियर	अडूपुरा	0.95 हे.	उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ग्वालियर.	765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से संबंधित अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बंधित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु नए खसरों का विवरण

ग्राम अडूपुरा जागीर, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं. 45, जिला ग्वालियर (म. प्र.)

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं/ सर्वे नं.	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	आवेदन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मातादीन, भोगीराम पुत्र भरोसा जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग अडूपुरा जागीर	443 मिन.	0.03	0.03
2	(अ) जगदीश पुत्र चतुरी, रामवेदी, कस्तुरी, पुत्रियां चतुरी भाग 1/6. (ब) मुनालाल, कमल, विजय, केदार, नरेश, पुत्रगण बदी भाग 1/6 (स) ठकुरी मोतीराम पुत्र गोले, चतुरो लत्तो पुत्रियां, गोले भाग 2/3 जा. जाटव अडूपुरा जागीर	444 मिन.	0.03	0.03
3	तीतुरिया पुत्र पन्नालाल जा. जाटव नि. अडूपुरा जागीर.	445 मिन.	0.11	0.11
4	पोहप सिंह, सरनाम, कालीचरन, मुलायम, जनक सिंह, दशरथ सिंह, पुत्रगण संतोष सिंह, फुन्दी बेवा संतोष सिंह, जाति कमरिया ठाकुर भाग समान अडूपुरा जागीर.	448 मिन.	0.33	0.16
5	मीरा पल्ली राजकुमार यादव नि. हुरावली मुरार	450 मिन.	0.05	0.05
6	राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	450 मिन.	0.05	0.05
	राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	458	0.36	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	475 मिन.	0.10	0.04
	राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	476 मिन.	0.12	0.06
7	प्रीतम सिंह, अंतर सिंह, सुन्दरा, हाकिम सिंह पुत्राण लक्खु जा. कंमरिया नि. अडूपुरा जागीर	452	0.35	0.05
8	मनीराम पुत्र रजुआ जा. जाटव, ग्राम अडूपुरा जागीर.	474 मिन.	0.14	0.07
9	राकेश पुत्र मजबूत सिंह जा. गृ. ठा. नि. लखनौती खुर्द.	463 मिन.	0.15	0.09
	शासकीय जग्मीन	439	0.09	0.02
		440	0.20	0.06
		441	0.17	0.09
		कुल योग . .	2.28	0.95

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, गवालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 22 मई 2010

क्र. 1006-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सिंगरौली	देवसर	भीखाझरिया	1.50	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	एल्युमिनियम स्पेल्टर एवं कैटिव पावर प्लांट के लिए इन्टेक्बेल की स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है।

क्र. 1008-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5) (6)
सिंगरौली	देवसर	डगा	1.58	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैटिव पावर प्लांट के लिए रेल ट्रैक की स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है।

क्र. 1010-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5) (6)
सिंगरौली	देवसर	बडोखर	10.33	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैटिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेल ट्रैक की स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है।

क्र. 1012-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
सिंगरौली	देवसर	बरैनिया	3.82	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर	एल्युमिनियम स्पेल्टर एवं कैटिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेल ट्रैक की स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है।

क्र. 1014-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सिंगरौली	देवसर	ओड़गढ़ी	6.54	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर	एल्युमिनियम स्पेल्टर एवं कैटिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड की स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलोकर एवं पदेन उपसचिव,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. 4-अ-82-2008-09-राजघाट.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—सेवढ़ा
- (ग) ग्राम—सिंमथरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.01 है. (कुआं एक)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

271 0.01 (कुआं एक)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत मोहनाजाट माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1, राजघाट नहर परियोजना दतिया के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र. 9, जिला दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. 7-अ-82-2008-09-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (अ) जिला—ग्वालियर
- (ब) तहसील—ग्वालियर
- (स) ग्राम/नगर—अडूपुरा
- (द) लगभग क्षेत्रफल—1.919 है.

765/400 के क्षेत्री ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु खसरों का विवरण
ग्राम—अडूपुरा जागीर, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं. 45, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्र. भू-स्वामी का नाम

(1) (2)

- 1 छिद्दीराम पुत्रगण पन्ना
- 2 राकेश, मुकेश, जितेन्द्र पुत्र श्री
मजबूत सिंह, जाति गुर्जर.

खसरा नं./ सर्वे नं.	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	आवेदन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)	(4)	(5)
446	0.160	0.124
468	0.210	0.080
469	0.400	0.090
485	0.036	0.036

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	मजबूत सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर, निवासी लखनऊती खुर्द.	487	1.040	0.130
4	मुरली व मतवार पुत्रगण रामहेत जाति जाटव.	4.94	0.54	0.230
5	मुल्लो बेबा कुंगरा भाग 1/5 नारायण, गयाप्रसाद, बटौरी पुत्रगण कुंगरा 4/5 समान भाग.	488	0.160	0.020
6	तेजा पुत्र अर्जुना जाति जाटव	652	0.090	0.070
7	हल्लू पुत्र मुलुआ जाति कुशवाह	605	0.250	0.020
		606	0.700	0.450
8	तुलसीराम पुत्र कल्लाराम जाति कुशवाह	600	0.570	0.170
9	शारदा रात्रा पत्नी श्री गुलशन रात्रा 1/2	646	0.430	0.400
		650	0.320	0.022
		647	1.34	0.067
			कुल योग :	1.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता—765/400 के. वी. विद्युत् उपकेन्द्र हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

राजस्व प्रकरण-क्र. 2-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
- (ख) तहसील—बुरहानपुर
- (ग) ग्राम—कोदरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.05 हेक्टर।	रक्षरा नम्बर	रक्बा (हैक्टर में)
	(1)	(2)
02		0.05

योग : 0.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शाहपुर-फोपनार मार्ग के कि. मी. 2/6 में अमरावती नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यालय यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सम्भाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, -मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 1902-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 26-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रत्लाम
- (ख) तहसील—आलोट
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम करवाखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.845 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1416	0.180
1418	0.060
1419	0.060
1466/2	0.030
1475/1	0.243
1476/1	0.075
1479/1	0.075
1480	0.135
1481/1	
1476/2	0.075
1474/2	0.236
1509	
1508/3	0.057
1506/1	0.129
1529	0.135
1532	0.045
1531	0.090
1598	0.112
1599	0.108
योग : 1.845	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.—करवाखेड़ी तालाब नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय से किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 10 मई 2010

क्र. 500-भू-अर्जन-2010-प्रकरण-क्रमांक-1-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—सूवासरा
- (ग) ग्राम—तरावली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.70 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
71	0.70
	0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—अजयपुर तालाब के ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पहेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 10 मई 2010

क्र. 5975-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद
- (ख) तहसील—होशंगाबाद
- (ग) ग्राम—बमूरिया एवं बम्होरीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.888 हैक्टेयर /2.20 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
ग्राम—बमूरिया	
202	0.182 हैक्टेयर/0.45 एकड़
210	0.016 हैक्टेयर/0.04 एकड़
209	0.121 हैक्टेयर/0.30 एकड़
175	0.020 हैक्टेयर/0.05 एकड़

ग्राम—बम्होरीखुर्द

- | | |
|------|---|
| 37 | 0.227 हैक्टेयर/0.56 एकड़ |
| 35 | 0.160 हैक्टेयर/0.40 एकड़ |
| 41/1 | 0.081 हैक्टेयर/0.20 एकड़ |
| 41/2 | 0.081 हैक्टेयर/0.20 एकड़ |
| (2) | कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 0.888 हैक्टेयर/2.20 एकड़ |
| (3) | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैराखेड़ी से घुघवास मार्ग निर्माण हेतु। |
| (4) | भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है। |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 11 मई 2010

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष 2007-08-भू-अर्जन-3402.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—मुलताई
- (ग) नगर/ग्राम—सूखाखेड़ी (पटवारी हल्का नम्बर 33)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.701 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे.)
(1)	(2)
110	0.069
113/1	0.186
114	0.041
116	0.089
115	0.065
117	0.089
118	0.162
योग . .	0.701

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सूखाखेड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई में भी देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 26-अ-82-वर्ष 2007-08-भू-अर्जन-3403.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—मुलताई
- (ग) नगर/ग्राम—नगरकोट पटवारी हल्का नम्बर 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.405 हेक्टर।

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में.) (2)	(1)	(2)
194/1	0.282	331/1	0.113
195/2	0.125	331/3	0.053
195/5	0.065	332	0.134
195/6	0.081	333/1	0.056
213/2	0.082	333/3	0.024
214	0.202	334/1	0.040
215	0.158	333/2	0.053
216	0.210	334/2	0.024
योग . .		335	0.065
योग . .			0.761

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सूखाखेड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई में भी देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 34-अ-82-वर्ष 2007-08-भू-अर्जन-3401.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—बैतूल
 - (ख) तहसील—मुलताई
 - (ग) नगर/ग्राम—पिपरिया (पटवारी हल्का नम्बर 71)
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.761 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में.) (2)
24	0.154
331/2	0.045

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 मई 2010

पत्र क्र. 730-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-10-संशोधन-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 33-अ-82-2008-09.—कार्यालय पत्र क्रमांक 2687-भू-अर्जन-09-धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम मलनगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 10.330 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकरेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, पृष्ठ क्र. 1335, 1336 पर दिनांक 5 जून 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों

क्रमशः दैनिक दोपहर दिनांक 31 मई 2009 तथा स्वदेश दि. 31 मई 09 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 12317/09 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें:—

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(1)	(2)
01. 34/1/2	0.045	01. 37/1/2	0.045
02. 73/3	0.040	02. 77/3	0.040
03. 50/1	0.095	03. 50/1/1	0.048
		04. 50/1/2	0.047

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

पत्र क्र. 728-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2009-10-संशोधन -भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-2008-09.—कार्यालय पत्र क्रमांक 2687-भू-अर्जन-09-धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम रतवा, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 5.770 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, पृष्ठ क्र. 1347, 1348 पर दिनांक 5 जून 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण दिनांक 30 मई 2009 तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 1 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 12318/09 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(1)	(2)
01. 86/2	0.430	01. 86/2	0.020
02. 86/3	0.020	02. 86/3	0.430

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 732-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—धार	
(ख) तहसील—मनावर	
(ग) ग्राम—कुवाली	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.720 हेक्टर.	
सर्वे नं.	अर्जित
निजी	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
101/2	
247/2	0.070
248	0.450
251/3क	0.185
251/3ख	0.185
252/1क	
252/1ख	0.430
252/1ग	
261/1	
259/2	0.100
260	
261/2	0.560
25	0.400
12/1/2	0.081
240/2	0.205
233/3	0.505
235/1	0.263
235/2	0.250
234/1	0.435
212	0.157
220	0.145
221	0.735
222	0.206
223	0.084
110	0.080
113/1	0.192
115/1/1	0.060
115/2/1क	0.150
115/2ख	0.090
116/2ख	0.030
116/1/1	
117/1	0.125
116/2/1/1	

(1)	(2)
105/1	0.650
111/1क	0.100
105/2	0.425
111/2	
101/1	0.350
101/2	0.350
107/1/1	0.432
107/1/2	
107/1/3	0.442
104/2क	0.108
104/1	0.108
103	0.216
102/1	0.216
101/4	0.060
101/3	0.060
185/1/4	0.055
215	0.135
214	0.205
48/1	0.015
185/1/5	0.055
66/1	0.375
66/2	0.125
66/3	0.275
67/2	0.010
63/2	0.020
64/2	0.215
231/1क	
231/1/2	
231/1/2	0.600
231/1/8	
231/1/9	
231/5	0.050
206	0.030
69/1	0.535
69/2	0.300
69/3	0.030
योग .	<u>12.720</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर. डी. 5060 मी. से आर. डी. 6070 मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी 13 की लेप्ट माईनर 1 के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 735-प्र.क्र.-अ-82-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—मोदकानापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.991 हेक्टर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.012
41	0.089
42	0.072
44/1	0.192
44/2	0.127
53	
54/1	0.451
54/2	
185/2	0.048
55/1क	
56/1	0.040
57/1	
60/1	
55/2ख	
56/2	0.043
57/2ख	
63/1	
55/3ग	
56/3	0.028
57/3	
62/2	
55/2	0.005

(1)	(2)	(1)	(2)
86/1/1	0.059	195/1	0.072
86/1/2	0.043	195/3	0.064
86/1/3	0.005	197	0.197
85/2	0.337	17	0.157
82/1	0.139	18/1	0.224
84/1	0.025	18/2	0.210
89/3	0.063	19/1	0.123
82/2/1	0.092	19/2	0.162
82/2/2	0.092	19/3	0.157
84/3/1	0.118	21	0.454
84/2	0.126	33/1	0.014
84/4	0.134	33/2	0.190
84/3/2	0.185	33/3	0.179
89/2	0.063	177	0.364
89/4	0.046	176	0.043
90/2	0.151	248	0.110
96/1	0.034	255	0.216
97	0.230	256	0.220
98		242	0.025
104/1/1	0.080	243	0.025
104/2	0.120		
105/1	0.088		
105/2	0.088	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,	
105/3	0.084		
115/1	0.096		
116/1			
115/2	0.035	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	
116/2			
117/2			
271	0.640		
272			
274	0.368		
270/2/2	0.024		
179/1/1/1	0.022		
179/1/1/2	0.061		
179/2/2	0.124		
179/3	0.090		
181	0.057		
184	0.174		
185/1	0.080		
199	0.018		
196	0.310		
195/2	0.080		
198	0.052		
		योग . .	8.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 14 मई 2010

पत्र क्र. 762-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-10-संशोधन -भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-2008-09.—कार्यालय पत्र क्रमांक 2687-भू-अर्जन-09-धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम पटवार, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.460 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ऑकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, पृष्ठ क्र. 1605 पर दिनांक 26 जून 2009 पर तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः अवन्तिका दिनांक 27 जून 2009 तथा अग्निबाण दिनांक 28 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 13651/09 है. जिसके स्थान पर

निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि		(1)	(2)
खसरा नं.	रकबा (हेक्ट.)	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट.)		
(1)	(2)	(1)	(2)		
36/1/2	0.124	36/1/3	0.124	254/1	0.328
				252	0.576
				253	
				254/2	
				203/1	0.240
				249	0.508
				250	
				25/1/2	
				242/1	0.355
				242/2/1	
				243	0.005
				233/1/1	0.480
				233/2क/2	0.115
				231/2/2	
				230	0.288
				229	
				69/2क/1	0.384
				67/1/1	0.145
				66/1	0.005
				66/2	0.201
				67/2	
				64/1/3/1	0.201
				64/1/2क	0.211
				64/2ग	
				59	0.672
				55	0.576
				56	0.067
				57	0.211
				190/1	0.021
				190/2	
				17/1	0.144
				257/1/2/3/1क	0.216
				262/2	0.360
				263/2	0.581
				277/1	0.960
				276/1	
				278	1.500
				303	
				301/1क/1	0.600
				279	0.278
				280	0.096
				300	0.288
				296	0.510
				294	0.140
				295/1/3	
				294	
				264/1क	
				294	0.144
				264/1ख	0.144
				295/1/1	
				299	0.252
				298/2	0.192
				290/1	0.360
				291/1	
				298/1	0.192
				268/1	

धार, दिनांक 18 मई 2010

क्र. 777-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—देवगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.971 हेक्टर.

(1)	(2)	(1)	(2)
203/2क	0.480	152/1	0.130
289/2	0.360	150/1	0.394
290/2	0.345	149/2	0.278
291/2ख	0.240	142/3	0.250
291/2क		145/1ख	0.350
284/2	0.576	159/3/1	0.115
216/1	0.336	159/3/2	0.269
		231/1	0.144
216/2	0.288	225/1	0.480
217/1ख/2	0.336	209/1/4	0.320
217/1क	0.259	277/2ग	0.140
217/2		311/1/2	
208/6	0.336	313/2/2	
208/7		314/2/1	0.185
208/8		315/3/1	
208/9		316/1/1	
209/1/2	0.259	314/2/2	0.310
184/2	0.076	315/3/2	
144/1/1	0.460	316/1/2	
285/3	0.390	316/4	
310/6	1.699	316/5	
292/4	0.085	276/2	
293/4		277/2क	0.140
292/3	0.085	227/2ख	0.200
293/3			
292/2	0.085		योग . . 31.971
293/2			
292/1	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः— ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 कि. मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माइनर क्र. 1, 5, 6, 7, 8 के बीच नहर निर्माण हेतु.	
293/1		(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.	
284/1	0.385	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	
282/1ख/2	0.100		
282/1ख/1	0.325		
282/1क	0.250		
223/1/3	0.145		
221/3/3			
223/1/2	0.145		
221/3/2			
221/2ख	0.145		
223/1/1			
223/2			
221/3/1			
222	0.320		
204/1/2	0.154		
202	0.585		
157/1/1	0.385		
157/2	0.403	क्र. 792-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-2010-संशोधन-भू- अर्जन-प्रकरण क्रमांक 53-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2519-प्र. क्र. 53-अ-82-08-09, दिनांक 5 जून 2009 द्वारा ग्राम ठनगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.334 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से	
158/1	0.145		
156/1	0.230		
160/1/1	0.384		
160/1/2	0.065		
161/1	0.530		
161/2ख	0.201		

धार, दिनांक 19 मई 2010.

क्र. 792-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-2010-संशोधन-भू-
अर्जन-प्रकरण क्रमांक 53-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र
क्रमांक 2519-प्र. क्र. 53-अ-82-08-09, दिनांक 5 जून 2009
द्वारा ग्राम ठनगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.334
हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा
के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से

प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, पृष्ठ क्र. 1454 दिनांक 12 जून 2009 पर तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः चौथा संसार दिनांक 12 जून 2009 एवं प्रभात किरण दिनांक 12 जून 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है। जिनका जी-नंबर 12932/09 है।

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे—

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(1)	(2)
43/3/1	0.135	43/3/1	0.073
43/3/2	0.220	43/3/2	0.110
43/3/3/1	0.00	43/3/3/1	0.045
43/4	0.00	43/4	0.127

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 मई 2010

पत्र क्र. 425-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामनगर
- (ग) ग्राम—गुलबार गुजारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.567 हेक्टेयर।

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
39	0.166
40	0.134

(1)	(2)
41	1.032
122	0.138
123	1.275
126	0.514
535	2.458
536	0.150
537	1.700
योग . .	7.567

नोट.—उक्त खसरा नम्बरों का मात्र भूमि के अर्जन हेतु प्रकाशन कराया जा रहा है। उक्त भूमियों का भुगतान नियमानुसार परीक्षणोपरांत किया जाना सुनिश्चित करें।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बाध के अन्तर्गत दूब में आने वाले निजी/भूमि शासकीय भूमि के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नवक्षा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 427-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—पताई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.258 हेक्टेयर।

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
42	0.120
130	0.036
131	0.080
138	0.022
योग . .	0.258

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर एवं उसके अन्तर्गत आने वाले करारी माइनर की निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 429-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) नगर/ग्राम—खौर 145 सीट नं. 142
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
447	0.042
131	0.058
योग .	0.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत सिलपरी वितरक नहर एवं उसकी खौर माझनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 18 मई 2010

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2010-4028.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—उज्जैन

- (ग) ग्राम—निनोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.01 हेक्टेयर.

ग्राम—निनोरा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
504	0.01
497	0.01
495/2/4	0.09
495/2/3	0.13
495/2/2	0.06
495/2/1	0.04
495/1	0.13
492	0.18
570/1	0.03
491	0.31
481	0.05
482/2	0.02
484/2	0.01
482/1	0.02
483	0.04
484/1/2	0.04
485	0.02
475/2/1	0.03
475/2/2	0.18
477/2	0.52
464	0.06
478/2	0.34
574/1	0.15
574/2	0.08
479/1/2/2	0.01
497/1/1/2	0.17
570/3/1	0.04
573/1	0.12
570/3/2	0.01
573/2	0.03
570/2/2	0.04
572	0.04

योग . 3.01

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि पर टोल प्लाजा हेतु भू-अर्जन के अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 मई 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—नौगांव
- (ग) ग्राम—चुरवारी, प. ह. नं. 15
- (घ) क्षेत्रफल —4.052 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रक्का (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
573	0.132	25	0.044	247	0.178
389	0.121	32	0.086	246	0.050
395	0.010	23/1	0.037	249	0.089
397	0.032	23/2	0.037	243	0.146
388	0.134	22	0.084	242	0.003
399	0.082	21	0.021	244	0.130
419	0.029	17	0.032	238	0.002
418	0.070	19	0.223	150	0.169
420	0.119	11	0.035	151	0.105
425/1	0.037	योग	4.052	152	0.112
425/2	0.075			153	0.005
427	0.115			155	0.022
335	0.031			154	0.147
336	0.092			173	0.116
334	0.067			172	0.025
333	0.126			174	0.001
321	0.257			178	0.073
322	0.122			179	0.109
				180	0.059
				43	0.070
				42	0.086
				27	0.064
				26	0.041
				25	0.044
				32	0.086
				23/1	0.037
				23/2	0.037
				22	0.084
				21	0.021
				17	0.032
				19	0.223
				11	0.035
				योग	4.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चुरवारी तालाब की नहर हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—महाराजपुर
- (ग) ग्राम—खिरी, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.573 हेक्टर

खसरा नम्बर.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.185
352/1	0.045
352/2	0.045
355/1	0.064
355/2	0.064
793	0.060
795	0.110
योग . .	<u>0.573</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव (राजस्व) में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—महाराजपुर

(ग) ग्राम—सूड़ा, प. ह. नं. 66

(घ) लगभग क्षेत्रफल —18.149 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.809
3/2	0.355
3/3	0.518
3/4	0.518
4/1	0.700
4/2	0.621
8	0.140
9	0.210
10	0.075
17/1	0.040
25	0.865
27/1	3.540
28	0.650
29	1.193
30	0.405
31	0.243
32	0.372
34/1	1.415
34/2	2.000
34/3	1.950
45	1.450
114	0.080
योग . .	<u>18.149</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव (राजस्व) में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—नौगांव

(ग) ग्राम—कराठा, प. ह. नं. 06

(घ) क्षेत्रफल —0.148 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

(1)

223

222

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.040

0.108

योग . . . 0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चुरवारी तालाब की नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी, कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 12 मई 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में अल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—मनुरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—8.380 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

(1)

1805

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.650

(1) 1823/1/1 0.240

1823/1/3 0.160

1823/2 0.405

1828/1 0.325

1829 0.305

1830 0.160

1831 0.450

1832 0.330

1835 0.020

1861 0.170

1866/1 0.130

1866/2 0.130

1921 0.120

1922 0.145

1924 0.070

1925 0.115

1926/2 0.150

1926/3 0.210

1927 0.120

1929/1 0.200

1949/2 0.115

1952 0.240

1953/1 0.135

1967 0.140

1969 0.110

1970/1/1 0.080

1970/1/2 0.090

1973/1 0.063

1973/2 0.062

1974 0.125

1975 0.045

2005 0.065

2006 0.135

2007/1 0.020

2007/2 0.270

2008 0.180

2010 0.018

2011 0.155

2022 0.010

2023 0.035

2024 0.075

2025 0.010

2560/1 0.075

2560/2/1 0.075

2562 0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
2575	0.026	1493/1	0.145
2576	0.335	1493/2	0.015
2577	0.100	1502	0.205
2580/1	0.008	1503	0.045
2585	0.325	1504	0.255
2586	0.020	1505	0.090
2591	0.185	1506/3/3	0.040
2592	0.130	1520	0.060
2593	0.075	1521	0.040
2594	0.010	1522	0.230
2595	0.188	1523	0.110
2596	0.030	1529/1	0.155
योग . .		1529/2/1	0.155
<u>8.380</u>			

योग . . 2.150

- (2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी एवं बकतौरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—गौरिहार
- (ग) ग्राम—मनुरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.150 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1478/5/1	0.200
1491	0.185
1492	0.220

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—चंदला
- (ग) ग्राम—टिकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि — 1.340 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2	0.052
39	0.107

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.559 हेक्टेयर.
40	0.005	खसरा
41	0.006	नम्बर
56	0.056	(1) (2)
67	0.020	138 0.089
243	0.094	139 0.039
244	0.089	140/1 0.058
245	0.017	140/2 0.058
246	0.028	141 0.028
261	0.065	142 0.215
262/1	0.117	145 0.063
275/1/4	0.031	149/2 0.009
316	0.114	योग . 0.559
319	0.070	
318	0.013	
320	0.133	
323/3	0.068	
323/4/1	0.239	
416/2/1	0.016	
	योग . 1.340	

- (2) बरियारपुर बांधी नहर की हथोहा शाखा नहर से निकलने वाली टिकरी के माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 29-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—चंदला
- (ग) ग्राम—भैराही

- (2) बरियारपुर बांधी नहर की हथोहा शाखा नहर से निकलने वाली भैराही माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 30-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—चंदला
- (ग) ग्राम—बन्जारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.885 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
नम्बर	
(1)	(2)
1257	0.040
1258	0.042

(1)	(2)	(1)	(2)
1259	0.130	1980	0.178
1260	0.012	2036/2	0.045
1274	0.051	2037	0.049
1275	0.126	2038/1	0.060
1276/2	0.043	2039/1	0.189
1277	0.130	2040	0.074
1278/1	0.120	2042	0.094
1279	0.010	2045	0.050
1281/1	0.040	योग . .	<u>3.885</u>
1281/2	0.008		
1282/1	0.025	(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहां शाखा नहर से निकलने वाली बंजारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.	
1283	0.039		
1284	0.012	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.	
1465	0.040		
1467	0.245		
1468	0.058	प्र. क्र. 31-अ-82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
1486/4	0.010		
1518	0.043		
1522	0.030		
1523/1	0.120		
1523/2	0.142		
1525	0.102		
1526	0.158		
1543	0.055		
1627	0.083		
1786/5	0.076		
1787	0.110		
1788/1	0.075		
1789	0.126	(1) भूमि का वर्णन—	
1792	0.083	(क) जिला—छतरपुर	
1793	0.037	(ख) तहसील—चंदला	
1794	0.007	(ग) ग्राम—गनपतखोड़	
1833	0.078	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.695 हेक्टेयर.	
1834/1	0.045		
1834/2	0.045		
1835	0.118	खसरा	अर्जित रकमा
1839	0.048	नम्बर	(हेक्टेयर में)
1840	0.090	(1)	(2)
1842	0.043	14	0.100
1843	0.028	15	0.020
1844	0.100	21	0.040
1844/2	0.022	23	0.108
1859	0.041		
1979	0.060		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—गनपतखोड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.695 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
24/1	0.108	439/2/1	0.060
57/1	0.110	440/1	0.016
58	0.086	444	0.020
62	0.044	445/1	0.158
69	0.008	460/1	0.097
70	0.150	462	0.121
72	0.144	463	0.006
73	0.021	662	0.012
74	0.068	674	0.031
75	0.018	675	0.059
78	0.019	677/1	0.053
81/1	0.041	678	0.057
81/2	0.041	679	0.156
81/5	0.105	680	0.037
84/1	0.080	686	0.016
86	0.101	687	0.008
87/2	0.076	688	0.021
88	0.133	689	0.080
115	0.006	741	0.055
116/1	0.073	742	0.013
116/2/1	0.040	743	0.101
116/2/2	0.040	744	0.008
117/1	0.008	745	0.008
119/2	0.019	750	0.010
295	0.032	766	0.016
296	0.073	768/1	0.162
297	0.035	769	0.044
298/1	0.136	770	0.010
300/1	0.054	796	0.045
301	0.066	797	0.044
302/1	0.022	814	0.006
303	0.009	815	0.115
387/1	0.130	829/1	0.112
387/2	0.131	845	0.041
394/2	0.184	846	0.043
396	0.042	847	0.009
412	0.152	848	0.073
414	0.007	850	0.035
424/2	0.075	881/1	0.025
424/3	0.076	884	0.123
437/1/1	0.012	1052	0.146
438	0.029	1055	0.048
439/1/1	0.101	1056	0.029
439/1/2	0.060		

(1)	(2)	(1)	(2)
1424/25	0.133	271	0.034
योग . .	<u>5.695</u>	272	0.101
		276	0.006
		280	0.011
		281	0.016
		282	0.016
		303	0.015
		308/1	0.097
		309	0.026
		309/2	0.030
		310	0.001
		311	0.060
		312	0.059
		322	0.082
		323	0.082
		324	0.022
		331	0.048
		332	0.047
		333	0.073
		334	0.069
		335	0.005
		336	0.044
		337	0.035
		373	0.063
		374	0.070
		375	0.030
		376	0.154
		403	0.079
		404	0.063
		472	0.136
		475	0.032
		476	0.076
		482	0.090
		483	0.040
		485	0.005
		486	0.086
		487	0.077
		488	0.051
		577	0.101
		578/1	0.032
		580/2	0.054
		582	0.057
		608/1	0.146
		609	0.016
		613/2	0.003
		616/2	0.152
		621/2	0.006
		623/1	0.047
		624	0.076

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—चंदला
 (ग) ग्राम—सड़कर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —4.590 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

17/1

0.087

18

0.095

20

0.044

21

0.067

38

0.090

40/1

0.193

41

0.193

42/1

0.038

68/1

0.290

76

0.143

77

0.010

78

0.087

111

0.076

112

0.053

(1)	634	0.063
(2)	635	0.111
(3)	636	0.012
(4)	637	0.065
(5)	640	0.063
(6)	641/1	0.013
(7)	642/2	0.076
	योग . .	4.590

- (2) बरियारपुर बांधी नहर की हथौंहां शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लाँड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—राजनगर
- (ग) ग्राम—कटारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.763 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.405
8/1	0.405
10/2	0.649
16/1	0.304
	योग . . 1.763

- (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—राजनगर
- (ग) ग्राम—पारवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.041 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1295	1.133
1300/3	3.908
	योग . . 5.041

- (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—राजनगर
- (ग) ग्राम—दिदौनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.902 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/1	0.130
472	0.030
473	0.210

(1)	(2)
474/3	0.010
475	0.090
479	0.050
481	0.020
482	0.047
483	0.114
484	0.020
488	0.050
489	0.010
490	0.178
492	0.180
493	0.040
499	0.049
500	0.080
506	0.200
507	0.070
508	0.057
509	0.263
510	0.170
563	0.270
565	0.510
567/1	0.090
567/2	0.050
568	0.080
580	0.100
582	0.290
583	0.300
584	0.110
678	0.420
679	0.330
680	0.030
688	0.025
689	0.110
690	0.050
691	0.300
692	0.040
701	0.030
741	0.120
742	0.120
746	0.160
747	0.069
749	0.150
755	0.080
योग . . 5.902	

- (2) दिवौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छतरपुर
 - (ख) तहसील—राजनगर
 - (ग) ग्राम—पारवा
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —4.950 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
1022	0.280
1023	0.170
1024	0.660
1032	0.200
1033	0.300
1034	0.190
1301	0.040
1312/2	0.370
1314/1अ	0.625
1314/1ब	0.625
1315/1	0.300
1315/2	0.300
1315/3	0.080
1315/4	0.300
1315/5	0.200
1315/6	0.300
1325	0.010
योग . . 4.950	

(2) दिवौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इ. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,